न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर.ए.एस.

मु0नं0 9/19

1. राजेश आयु 50 साल पुत्र श्री रघुवीर, जाति मीना, निवासी नगला स्टोर, कस्बा बयाना तहसील– बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील बयाना, जिला – भरतपुर (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र शुद्व किये जोन आकृति
वर्तमान नक्शा शीट अन्तर्गत धारा 131 व
136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–03.02.2021

उपस्थिति

1. श्री योजेन्द्र तिवारी एडवोकेट प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धरा 131, 136, एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 597 वाके ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना में स्थित है कि जिसके दौराने बन्दोबस्त नवीन खसरा नम्बर 771 रकवा 0.38 हैक्टेयर, निर्मित किया गया है

यह कि साविक आराजी खसरा नम्बर 567 वाके ग्राम मुर्रकी, तहसील बयाना की सीमाऐं इस प्रकार से है कि इसके तरफ उत्तर चपेटा दीगर खसरा नम्बर की भूमि है व तरफ दक्षिण चपेटा दीगर खसरा नम्बर 565 व 566 की भूमि है व तरफ पूर्व चपेटा दीगर खसरा नम्बर की भूमि है व तरफ पश्चिम चपेटा खसरा नम्बर 568 की भूमि स्थित है इस प्रकार उक्त साविक खसरा नम्बर 567 वाके ग्राम मुर्रकी की आकृति एक स्पष्ट पंचभुज के समान है। कि जिसे प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा सीट सम्बत् 1985 मौजा मुर्रकी तहसील बयाना में स्पष्ट परिलक्षित किया है। प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा सीट साविक खसरा नम्बर 567 सम्बत् 1985 मौजा मुर्रकी, तहसील बयाना संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि दौराने बन्दोबस्त साविक [illegible] नवीन खसरा नम्बर 771 के अनुसार नवीन नक्शा किश्तवार सम्बत् 2045 निर्मित [illegible] राजस्व कर्मियों व बन्दोबस्त कर्मियों की हुई भूल से नवीन निर्मित खसरा नम्बर 771 जिसकी [illegible] इस प्रकार से है। कि इसके तरफ पूर्व चपेटा आराजी खसरा नम्बर 750 [illegible] आराजी खसरा नम्बर [illegible] व तरफ

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:01 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

उत्तर चपेटा आराजी खसरा नम्बर 749 व तरफ दक्षिण चपेटा आराजी खसरा नम्बर 769 व 770 की भूमि है कि आकृति को परिवर्तित कर दिया गया है व मौके पर साविक खसरा नम्बर 567 से निर्मित नवीन खसरा नम्बर 771 की आकृति व क्षेत्रफल बिल्कुल भिन्न है तथा वर्तमान नक्शा सीट सम्बत् 2045 उक्त खसरा नम्बर 771 की भूमि को इसके तरफ उत्तर स्थित खसरा नम्बर 749 व तरफ पूर्व स्थित खसरा नम्बर 750 की भूमि में दबाते हुऐ कम दिया है जिससे प्रार्थी के खसरा नम्बर 771 का क्षेत्रफल 0.38 हैक्टेयर नही बैठता है अतः प्रार्थी को उक्त नवीन नक्शा किश्तबार सम्बत् 2045 में दर्शित नवीन खसरा नम्बर 771 की वर्तमान परिवर्तित आकृति का साविक आराजी खसरा नम्बर 567 की बन्दोवस्त पूर्व निर्मित नक्शा सीट सम्बत् 1985 भूमि में दर्शित आकृति के अनुरूप किया जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थी को साविक आराजी खसरा नम्बर 567 से दौराने बन्दोवस्त निर्मित नवीन खसरा नम्बर 771 का जीवित व एक मात्र खातेदार काश्तकार व काविज आराजी होने से यह प्रार्थना पत्र हाजा पेश करने व वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शा किश्तवार सम्बत् 2045 में मुताविक साविक नक्शा सीट 1985 संशोधन कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि दौराने बन्दोवस्त, बन्दोवस्त कर्मियों की हुई भूल से निर्मित नवीन किश्तवार सम्बत् 2045 में नवीन खसरा नम्बर 771 की आकृति को संशोधित व शुद्व किये जाने के लिहाज से तत्सम्बन्धी जॉच रिपोर्ट तलब की जाकर अप्रार्थी को मुताविक साविक नक्शा सीट, नवीन नक्शा किश्तवार सम्बत् 2045 को संशोधित व शुद्व कराना जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना के पत्रांक एलआर/19/2426 दिनांक 31.07.2019 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार बयाना ने अंकित किया है कि मुताविक मिलान क्षेत्रफल से साविक खसरा नम्बर 567 रक्वा 2 वीघा 7 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 771 रक्वा 0.38 हैक्टेयर बनाया है, मुताविक पुराना नक्शा सीट के अनुसार साविक खसरा नम्बर 567 की तरफ उत्तरी वाली मेड नक्शा सीट में सीधी दिखाई है। जबकि हाल नक्शा सीट में खसरा नम्बर 771 की तरफ उत्तरी मेड में अन्तर है, मुताविक नवीन नक्शा सीट खसरा नम्बर 771 रक्वा 0.38 हैक्टेयर का कंधी व परमार से रक्वा बराबरी की तो उसका रक्वा 0.37 हैक्टेयर ही बैठता है जो मुताविक जमाबन्दी के 0.01 हैक्टेयर कम है। खसरा नम्बर 771 के तरफ उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 479 रक्वा 0.45 हैक्टेयर का कंधी परमार से रक्वा बराबरी किया तो उसका रक्वा 0.48 हैक्टैयर बैठता है तो मुताविक जमाबन्दी रिकार्ड से 0.03 हैक्टेयर अधिक बैठता है।

मुताविक रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2075–78 के खसरा नम्बर 771 का रक्वा 0.38 हैक्टेयर किस्म चाह जो कि राजेश पुत्र रघुवीर हि0 पूर्व जाति मीना सा0 नगला स्टोर बयाना व खसरा नम्बर 749 रक्वा 0.45 हैक्टेयर किस्म वजह चर्तुभुज, ममता देवी, विनोद कुमार, मनीष कुमार, मनोज कुमार, ओमवती, महतावी, सुमित कुमार, बच्चुसिंह, जयसिंह, हरलाल, मुकेश, कमलेश, देव, मोहित, रोहित, भूमि, प्रमोद, कौशल, के नाम दर्ज रिकार्ड है। यदि खसरा नम्बर 771 के उत्तरी पूर्वी कोने को खसरा नम्बर 749 मे तरफ 2 मीटर बैठा दिया जाता है तो खसरा नम्बर 771 को रक्वा पूरा हो जाता है ओर खसरा नम्बर 749 का जमाबन्दी रिकार्ड का रक्वा 0.45 हैक्टेयर भी प्रभावित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित थ्यो का दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख मिलान क्षेत्रफल जमावन्दी 2071–74 एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साविक खसरा नम्बर 567 वाके ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना के दौराने भू0 प्रबंधन नवीन खसरा नम्बर 771 रक्वा 0.38 हैक्टेयर बनाया गया है।

उक्त नवीन खसरा नम्बर 771 के तरफ उत्तर खसरा नम्बर 565, 566 तरफ पश्चिम चपेट खसरा नम्बर 568 लगे हुए है। यदि नवीन खसरा नम्बर 771 के नवीन नक्शा सीट में सेशोधन किया जाता है तो चपेटा खसरा नम्बर प्रभावित होते है। हमने पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख पुराने व नये नक्शा का अवलोकन किया। पुराने आराजी खसरा 567 के द्वारा जो नवीन खसरा नम्बर दौरान भू– प्रबन्धन के 771 बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे नवीन खसरा नम्बर 771 के नक्शे में शुद्वि साविक खसरा नम्बर 567 में दर्शित हो, ऐसा कोई भी नक्शा/साक्ष्य पेश नही किया है। आवेदन प्रार्थी ने चपेटा खातेदार/काश्तकार को पक्षकार मुकदमा भी नही बनाया है ऐसी स्थिति में चपेटा खसरा नम्बर के खातेदार/काश्तकार को पक्षकार मुकदमा अथवा उनके सुने बिना किसी प्रकार से प्रार्थी दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र/प्रार्थी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सुनील आर्य
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:01 IST
Reason: SelfAttested